TO BE PUBLISHED IN PART IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY **GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI** (REVENUE DEPARTMENT) 5, SHAM NATH MARG, DELHI.

F. No. 7 (24)/Rev. Dept./GA br./Rev. P./SDM/2012/ 2984

Dated: 22/11/12___

NOTIFICATION

In pursuance of the Services Department's order No. 471 dated 30.08.2012, Shri Ashok Kumar Sharma, DANICS has joined as Sub-Divisional Magistrate (HQ)IV, on 26.09.2012 (F/N). Now, therefore,

- 1. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 27 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act No. XVII of 1887) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby confers upon Shri Ashok Kumar Sharma, DANICS the power of Assistant Collector, Ist Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 2. In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 15 read with 223 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1301(Act No. III of 1901) as extended to the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby appoints Shri Ashok Kumar Sharma, DANICS as Assistant Collector, Ist Class under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 7 read with 76 of the Delhi Land Revenue Act, 1954 (Act No. 12 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri Ashok Kumar Sharma, DANICS as Assistant Collector , Ist Class and Revenue Assistant in the National Capital Territory of Delhi and confers upon him all the powers of Collector under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 4. In exercise of the powers conferred by Section 4 read with Clause 6 of Section 3 of the Northern India Canal & Drainage Act, 1873(Act No. 2 of 1873) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby appoints Shri Ashok Kumar Sharma, DANICS as Collector, to exercise or perform the duties conferred or imposed under the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 5. In exercise of powers conferred by Clause 19-A of Section 3 of the Delhi Land Reforms Act, 1954(Act No. 8 of 1954) the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby empowers Shri Ashok Kumar Sharma, DANICS as Assistant Collector, Ist class to perform the function of Revenue Assistant described in the Schedule I as appended to the said Act within the National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 6. In exercise of the powers conferred by Sub Section (1) of Section 20 of East Punjab Holdings (Consolidation & Prevention of Fragmentation) Act 1948 (Act No. 50 of 1948) as enforced in the National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to appoints Shri Ashok Kumar Sharma, DANICS as Settlement Officer(Consolidation) for National Capital Territory of Delhi, w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.
- 7. In exercise of the powers conferred by Clause (c) of the Section 2 of the Delhi Land Holding(Ceiling) Act, 1960 (F.No. 24 of 1960) the Lt. Governor National Capital Territory of Delhi, is pleased to authorize Shri Ashok Kumar Sharma, DANICS to perform the function of the Competent Authority under the said Act within the whole areas to which the provision of the said act are applicable w.e.f date of assumption of charge and so long as he holds the Post of Sub-Divisional Magistrate in the Revenue Department or till further orders whichever is earlier.

BY ORDER AND IN THE NAME OF The Lt. GOVERNOR OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI.

(Kuldeep \$ingh Gangar)

Spl. Secretary (Revenue)/ **Deputy Commissioner(HQ)**

Dated: 22/11/12

F. No. 7 (24)/Rev. Dept./GA br./Rev. P./SDM/2012/ 4984

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Dy. Secretary(GAD) Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya New Delhi along with two copies of Notification in English & Hindi for publication in Part-IV, Delhi Extra Ordinary Gazette

Officer concerned).

The System Analyst for uploading the notification on the website of this department.
P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner, GNCT of Delhi.

5. Guard file.

(Kuldeep Singh Gangar)

Spl. Secretary (Revenue)/ Deputy Commissioner(HQ)

दिल्ली राजपत्र (असाधारण) के भाग 4 में प्रकाशनार्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र : दिल्ली सरकार (राजस्व विभाग) 5 , शाम नाथ मार्ग , दिल्ली

सं0. ७/(२४)/रा.वि./स.से.शा./स. श./उपम. द./२०१२/ २ ५ ४५

अधिसचना

दिनांक : 221/11/11

सेवा विभाग, दिल्ली सरकार के आदेश सं0 471 दिनॉक 30.08.2012 के सन्दर्भ में श्री अशोक कुमार शर्मा, दानिक्स ने दिनॉक 26.09.2012 (पूर्वाहन) को उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, (मुख्यालय) IV, का कार्यभार संभाल लिया है। अतः-

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू पंजाब भू-राजस्व अधिनियम 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम संख्या 17) की धारा 27 (1)की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में **श्री अशोक कुमार शर्मा, दानिक्स** को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा विस्तारित उत्तरप्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (1901 का अधिनियम संख्या 03) की धारा (2) 223 के साथ पठित धारा 15 की उपधारा 1 द्वारा प्रदक्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में श्री अशोक कुमार शर्मा, दानिक्स को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।
- दिल्ली भू-राजस्व अधिनियम 1954 (1954 का अधिनियम संख्या 12) की धारा 76 के साथ पठित धारा 07 की उपधारा 1 द्वारा (3)प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतदू द्वारा श्री अशोक कुमार शर्मा, दानिक्स को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी तथा राजस्व सहायक के रूप में नियुक्त करते है तथा उक्त अधिनियम के अर्न्तगत उस समय तक कलैक्टर की सभी शक्तियाँ कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जबतक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यथा लागू उत्तरी भारत नहर तथा जल निकास अधिनियम 1873 (1873 का अधिनियम संख्या 02) (4)की धारा 03 के खण्ड 6 के साथ पठित धारा 04 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कलैक्टर की सभी शक्तियों तथा कार्यों को करने अथवा अधिरोधित करने के लिये श्री अशोक कुमार शर्मा, दानिक्स को उस समय तक कलैक्टर की शक्तियों को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जन तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इत्तमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है।
- (5) दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 के अधिनियम संख्या 8 की धारा 3 के खंड 19 ए के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 परिशिष्ट में वर्णित राजस्य सहायक के कार्यों की निर्वाहन करने के लिए श्री अशोक कुमार शर्मा, दानिक्स को उस समय तक सहायक कलैक्टर प्रथम श्रेणी की शक्तियों को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्रदान करते है ।
- (6) पूर्वी पंजाब जोत (चकबंदी तथा विखंडन रोकथाम) अधिनियम 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम संख्या 50) की धारा 20 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए **श्री अशोक कुमार शर्मा, दानिक्स** को उस समय तक बन्दोबस्त अधिकारी (चकबन्दी) के रूप में कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्व विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं या अगले आदेशों तक इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।
- (7) दिल्ली भूमि जोत (सीमाबंदी) अधिनियम 1960 (1960 का अधिनियम सं0 24) की धारा 2 के खंड ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल उक्त अधिनियम के अंतर्गत उस समस्त क्षेत्र के लिए जहां लागू होता हों के लिये सक्षम प्राधिकारी का कार्य करने के लिये **श्री अशोक कुमार शर्मा, दानिक्स** को कार्यभार संभालने की तिथि से एवं जब तक वह राजस्य विभाग में उपमण्डलीय दण्डाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं अथवा अगले आदेश तक इनमें से जो भी पहले हो, प्राधिकृत करते है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश तथा उनके नाम पर DIE JIJA

(कुलदीप सिंह गंगर)

विशेष सचिव (राजस्व)/

उपायुक्त (मुख्यालय) दिनांक : 2 र 1 / 1/12

सं0. ७/(२४)/रा.वि./स.से.शा./रा. श./उपम. द./२०१२/ २५/५ प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू निम्न को प्रेषित है :-

- 1. उप-सचिव (सा0 प्रा0 वि0) रा. रा. क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग 4 में प्रकाशनार्थ अधिसूचना की दो प्रतियां अंग्रेजी एवं हिन्दी अनुवाद सहित ।
- 2. संब्रिधत अधिकारी ।
- ${\mathscr X}$. प्रणाली विषलेशक (उपयुक्त अधिसूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु)
- 4. निजी सचिव, सचिव (राजस्व)/मण्डलायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,दिल्ली, ।
- 5. गार्ड फाइल ।

(कुलदीप सिंह गंगर)

विशेष सचिव (राजस्व)/ उपायुक्त (मुख्यालय)